संख्या-64/2022/2499/22-2-2021-17(952)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2022*

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे-5-दया0 बैठक-09-09-2021 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल, जो मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। प्रधानी के चुनाव हार जाने के कारण दिनांक 10.03.2001 को होली मिलन के अवसर पर 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से मारकर 07 लोगों को घायल किया गया तथा 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 व 217/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 व 4/25 आर्म्स एक्ट एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.08.2021 तक 19 वर्ष 11 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 04 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, रिहा होने पर गांव में शान्ति व्यवस्था भंग हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की उम्र (43) वर्ष बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी बुद्धसेन (बन्दी संख्या-17093) पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-64/2022/2499(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।